न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—429/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/429)

1. फूलचंद पुत्र लाला पौत्र सुखा जाति मीणा निवासी कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. बद्री पुत्र रूघनाथ पौत्र भौरया
2. दीपक पुत्र बद्री
3. अंश पुत्र बद्री
   समस्त जाति मीणा निवासी 52/215 प्रताप नगर सेक्टर—5 सांगानेर जयपुर।
4. प्रेम पुत्र रूधनाथ पत्नी केदार जाति मीणा निवासी ग्राम चक गुढा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. जरिए तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

7. नाथू पुत्र लाला पौत्र सुखा
8. धापू पत्नी लाला पुत्रवधु सुखा
9. संतोष पुत्री लाला पत्नी धनराज पौत्री सुखा
10. पप्पू देवी पुत्री लाला पत्नी रामनारायण पौत्री सुखा
11. ममता देवी पुत्री लाला पौत्री सुखा
12. आशा देवी पत्नी कालू पुत्र वधु केसरा
13. ध्रुव मीणा पुत्र कालू पौत्र केसरा नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती आशा देवी।
14. सिमरन मीणा पुत्री कालू पौत्री केसरा नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती आशादेवी।
15. हीरा पत्नी केसरा पुत्रवधु सुखा **(नामतर्क 26.11.2025)**
16. जडाव पुत्री सुखा पत्नी कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंगारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

परफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी राजस्व वाद संख्या 05/2018

उपस्थितः—

1. श्री उमेश कुमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पूनम माथुर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6
4. श्री लक्ष्मण कंवरिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 से 14, 16

निर्णय

दिनांकः—02.01.2026

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 6943/018 आदेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 754/2018 बउनवानी नाथू वगैरह बनाम बद्री

वगैरह को राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादीगण ने एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 742 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 785 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 782 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 787 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा पर प्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा काश्त बेजमान बुजुर्गान संवत 2012 से पूर्व से ही चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा नहीं करे। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व कब्जे की काश्त पर अनुसंधान न कर सरसरी तौर पर राजस्व लोक अदालत कैम्प बस्सी में दिनांक 29.06.2018 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा बंदोबस्त संवत 2012 नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 व भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2019 व नकल नामांतकरण संख्या 164 निर्णय उपखण्ड अधिकारी निर्णय दिनांक 23.02.1976 का साक्ष्य में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था अपीलार्थीगण/वादीगण मुदत तदीम से काबिज काश्त है। आर0टी0एक्ट 1955 की धारा 63(4) के अंतर्गत कब्जा मुखालफाना होने की सुरत में प्रतिवादीगण/प्रत्यार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अपीलार्थी/वादीगण के बुजुर्ग सुखा व प्रत्यार्थीगण के बुजुर्ग भौरया दोनो सगे भाई थे उनके पिता का नाम भीवा था भौरया संयुक्त परिवार का करता धरता था, कानोता ग्राम जागीरी का था तत्समय संयुक्त परिवार के कर्ता धर्ता काना जागीरदार के समय दर्ज हो गया जबकि आराजी वादीगण/प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी थी। वास्तविक तथ्य पर गौर नहीं किया जाकर प्रतिवादीगण भौरया के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई। वादीगण के बुजुर्ग सुखा का नाम खातदोरी से निरंतर कर दिया गया। किंतु मौके पर कब्जा बदस्तुर पूर्व से ही वादीगण/अपीलार्थीगण के बुजुर्ग सुखा का रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात भी वादीगण/ अपीलार्थीगण कब्जा काश्त में है। ऐसी स्थिति में धारा 63(4) के अंतर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी है। अदालत मातहत ने इस तथ्य व वैधानिक स्थिति की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा नम्बर 782 रकबा 3.09 है0 खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 के खाता संख्या 454 में खसरा नम्बर 2056 रकबा 3.09है0 गोपाल पुत्र भूरा जाति मीणा की खातेदारी रही है। इस प्रकार उक्त आराजी जागीरदारी अंकन से भोरया के पक्ष में नहीं थी। इस आराजी का संवत 2015 के बाद संवत 2019 में वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग भौरया व सुखा के द्वारा अर्जित की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर दिया गया निर्णय अनदेखी व विधि

विरूद्ध था। जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण/अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हुए निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर द्वारा वाद संख्या 5/2018 नाथू व अन्य बनाम बद्री व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध की है जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि खसरा नम्बर 742, 785, 782, 787 ग्राम कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर पर वादीगण काबिज काश्त है तथा नामान्तरण या 164 में अपीलार्थीगण के पूर्वज सुखा का नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण के बुजुर्ग सुखा व भौरया दोनों सगे भाई थे तथा भौरया परिवार का कर्ता धर्ता होने के कारण उक्त खसरान में भौरया का नाम दर्ज हो गया उक्त आराजी संयुक्त आराजी है तथा अपीलार्थीगण वर्तमान में कब्जा काश्त है जिससे धारा 63 (4) के तहत अपीलार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त बिन्दुओं से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण के हक में विरुद्ध प्रत्यर्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 742, 785, 782, 787 ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्णय के तथ्यों को छिपाते हुये न्यायालय को धोखे में रखते हुये उक्त अपील प्रस्तुत की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्वज भौरिया पुत्र भींवा व सुखा पुत्र भीवा के मध्य एडीएम जयपुर के समक्ष एक वाद संख्या 16/1999 दिनांक 30.04.2001 को निर्णित किया गया था जिसके अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर के एक मात्र मालिक व स्वामी व कब्जेधारी भौरिया व उसके विधिक उत्तराधिकारियों को घोषित किया गया था। उक्त निर्णय अनेक्चर–1 है। उक्त निर्णय के अनुसार सुखा पुत्र भीवा को विवादित आराजी खसरा नम्बर का मालिक नहीं माना था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 116/2001 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य के नाम से प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 10.1.2005 को खारिज कर दी गई है, जो कि अनेक्चर–2 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः पूर्व में दिये गये निर्णयों से व्यथित होकर एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त अपील संख्या 946/2005 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य पेश की थी। जिसका निर्णय 25.08.2009 को हो गया तथा उक्त अपील खारिज फरमा दी गई थी। जो कि अनेक्चर–3 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः पूर्व से निर्णय से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के समक्ष एस०बी० सिविल रिट संख्या 12752/2011 लाला व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 16.11.2011 को आदेश पारित किया गया था जिसमें सुखा के विधिक उत्तराधिकारियो को रिव्यू का आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकार दिये गये थे जो कि अनेक्चर 4 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियो द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

की एकलपीठ के आदेश के विरुद्व खण्डपीठ के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील 1030/2014 लाला व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रस्तुत की थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश के कम में एक रिव्यू प्रार्थना पत्र नजरशानी संख्या 8500/2011 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की जो कि उक्त नजरसानी दिनांक 18–02–2014 को माननीय राजस्थान मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दी गई तथा डीवी सिविल स्पेशल अपील भी दिनांक 02.07.2015 को खारिज फरमा दी गई। माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा खारिज की गई नजरशानी अनेक्चर–5 है तथा डीवी सिविल स्पेशल अपील का आदेश अनेक्चर–6 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः राजस्व मण्डल के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट संख्या 3683/2014 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 20.05. 2014 को खारिज फरमा दी गई जो कि अनेक्चर–7 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा एसवी सिविल रिट संख्या 3683/2014 के आदेश के विरुद्ध एक खण्डपीठ के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील 1029/2014 लाला व अन्य रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की थी, जो कि दिनांक 02.07.2015 को खारिज फरमा दी गई थी। जो कि अनेक्चर–8 है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये दिनांक 02.07.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय के समक्ष स्पेशल लिव टू अपील 27765/2015 प्रस्तुत की गई जो कि भी दिनांक 11.12.2015 को खारिज फरमा दी गई जो कि अनेक्चर–9 है। इस प्रकार एडीएम जयपुर द्वारा वाद संख्या 16/99 भौरिया बनाम सुखा में दिये गये आदेश दिनांक 30.04.2001 की पुष्टि माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा अन्तिम रुप से की जा चुकी है जिससे अन्तिम रुप से यह निर्णय पारित हो चुका है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरो के एकमात्र मालिक भौरिया व उसके विधिक उत्तराधिकारी है न कि सुखा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियो द्वारा पुनः गलत तथ्यों पर आधारित वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो कि खारिज फरमा दिया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बरों पर सुखा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों का विधिक अधिकार पूर्व में ही माननीय सर्वोच्य न्यायालय तक निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बरों पर सुखा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार अस्तित्व में नहीं है ना ही भविष्य में हो सकता है। भौरिया व सुखा का सजरा खानदान अनेक्चर 10 है। प्रार्थी द्वारा केवल भौरिया के विधिक उत्तराधिकारियों को विवादित आराजी खसरा नम्बरों के उपयोग उपभोग से वंचित करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किये जाते है। इसी क्रम में पूर्व में भी एक वाद कालू पुत्र केसरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुखा के द्वारा सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका मुकदमा संख्या 58/2009 कालू बनाम केसरा व अन्य था तथा जिसका निर्णय दिनांक 10.01.2011 को किया गया था जो कि खारिज फरमाया गया था। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करके विवादित आराजी खसरा नम्बर के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत किये जाते है जिससे मिन उत्तरदाता विवादित आराजी खसरा नम्बरो के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है और जब सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों की धोखेबाजी माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट होती है तब बिना किसी आधार पर माननीय न्यायालय पर आरोप लगाकर इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश किये जाते है जिससे प्रकरण में देरी हो और

मिन उत्तरदाता विवादित आराजी खसरा नम्बरों के उपयोग उपभोग से वंचित हो सके। प्रार्थी व सुखा के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के द्वारा लगातार माननीय सर्वोच्य न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 11.12.2015 की अवहेलना की जा रही है जिससे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विरुद्ध झूठे व असत्य सत्य आधारो पर आरोप लगाकर पेश किया है जिससे प्रकरण में किसी भी प्रकार से देरी हो सके ऐसी स्थिति में सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जानी न्यायिक रुप से आवश्यक है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त झूठे व असत्य आधारों पर की जाने वाली कार्यवाही से मिन उत्तरदातागण लगातार विवादित आराजी खसरा नम्बरों के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है जिसके लिए मिन उत्तरदातागण को प्रार्थी व सुखा के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों से भारी मुआवजा दिलवाया जाना भी न्यायिक रुप से अत्यन्त आवश्यक है। आराजी खसरा नम्बर 742, 785, 782, 787 ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तक मालिक होने के संबंध में निर्णय पारित हो चुके है। उक्त निर्णय के अनुसार भौरया व उसके विधिक उत्तराधिकारी ही उक्त आराजी खसरा नम्बरों के मालिक, स्वामी व कब्जेधारी है। अन्य किसी व्यक्ति का अपीलार्थीगण सहित उक्त आराजी खसरा नम्बर से किसी प्रकार का कोई लेनदेन, वास्ता नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक व कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील सर्वथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अवहेलना है जिससे उक्त अपील आराजी खसरा नम्बरों के संबंध में दिये गये निर्णयों के प्रकाश में खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 29.06.2018 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। **न्यायालय हाजा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का अवलोकन किया गया जिसके तहत :–**

1) कोई आसामी जिसके भूमि–क्षेत्र या भूमि–क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी, या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती है, शाश्वत निषेधाज्ञा की स्वीकृति के लिये दावा दायर कर सकता है।

परंतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए वादी/अपीलांट का रिकार्डेड खातेदार होना आवश्यक है जो कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी का अवलोकन किए जाने से यह पाया कि अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को पाबंद करवाने के लिए विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार होना परम आवश्यक है।

अपीलांट/वादी उक्त विवादित आराजीयात में ना तो रिकार्डेड खातेदार है ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें खातेदार/काश्तकार माना है। अपीलांट/वादी द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार को स्वयं की ही आराजीयात बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का अनुतोष चाहा गया था जो कि दिया जाना उचित नहीं है। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में भी माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किए जा चुके हैं। अतः अपीलांट/वादी का वाद रेस्ज्यूडिकेटा से भी बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के न्यायसंगत आदेश पारित किए हैं। चूंकि विवादित आराजी खसरा नम्बरों पर सुखा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों का विधिक अधिकार पूर्व में ही माननीय सर्वोच्य न्यायालय तक निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बरों पर सुखा अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार अस्तित्व में नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर द्वारा वाद संख्या 5/2018 नाथू व अन्य बनाम बद्री व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध की है जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि खसरा नम्बर 742, 785, 782, 787 ग्राम कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर पर वादीगण काबिज काश्त है तथा नामान्तरण में अपीलार्थीगण के पूर्वज सुखा का नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण के बुजुर्ग सुखा व भौरया दोनों सगे भाई थे तथा भौरया परिवार का कर्ता धर्ता होने के कारण उक्त खसरान में भौरया का नाम दर्ज हो गया उक्त आराजी संयुक्त आराजी है तथा अपीलार्थीगण वर्तमान में कब्जा काश्त है जिससे धारा 63 (4) के तहत अपीलार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 742, 785, 782, 787 ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के संबंध में पूर्व में भी उक्त विवादित आराजीयात बाबत विभिन्न न्यायालयों में भी वाद प्रस्तुत किए गए थे जिनके अनुसार भी अपीलांट को उक्त विवादित आराजीयात बाबत खातेदार नहीं माना गया तथा उनके द्वारा दायर की गई अपील खारिज की गई।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी यह तथ्य सामने आते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्वज भौरिया पुत्र भींवा व सुखा पुत्र भीवा के मध्य एडीएम जयपुर के समक्ष एक वाद संख्या 16/1999 दिनांक 30.04.2001 को निर्णित किया गया था जिसके अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर के एक मात्र मालिक व स्वामी व कब्जेधारी भौरिया व उसके विधिक उत्तराधिकारियों को घोषित किया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार सुखा पुत्र भीवा को विवादित आराजी खसरा नम्बर का मालिक नहीं माना था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 116/2001 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य के नाम से प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 10.1.2005 को खारिज कर दी गई है। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः पूर्व में दिये गये निर्णयों से व्यथित होकर एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त अपील

संख्या 946/2005 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य पेश की थी। जिसका निर्णय 25.08.2009 को हो गया तथा उक्त अपील खारिज फरमा दी गई थी। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः निर्णय से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के समक्ष एस०बी० सिविल रिट संख्या 12752/2011 लाला व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 16.11.2011 को आदेश पारित किया गया था जिसमें सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों को रिव्यू का आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकार दिये गये थे। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के आदेश के विरुद्व खण्डपीठ के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील 1030/2014 लाला व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रस्तुत की थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश के कम में एक रिव्यू प्रार्थना पत्र नजरसानी संख्या 8500/2011 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की जो कि उक्त नजरसानी दिनांक 18–02–2014 को माननीय राजस्थान मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दी गई तथा डीवी सिविल स्पेशल अपील भी दिनांक 02.07.2015 को खारिज फरमा दी गई। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः राजस्व मण्डल के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट संख्या 3683/2014 लाला व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 20.05.2014 को खारिज फरमा दी गई। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा एसवी सिविल रिट संख्या 3683/2014 के आदेश के विरुद्ध एक खण्डपीठ के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील 1029/2014 लाला व अन्य रघुनाथ व अन्य प्रस्तुत की थी, जो कि दिनांक 02.07.2015 को खारिज फरमा दी गई थी। सुखा के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये दिनांक 02.07.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय के समक्ष स्पेशल लिव टू अपील 27765/2015 प्रस्तुत की गई जो कि भी दिनांक 11.12.2015 को खारिज फरमा दी गई। इस प्रकार एडीएम जयपुर द्वारा वाद संख्या 16/99 भौरिया बनाम सुखा में दिये गये आदेश दिनांक 30.04.2001 की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रुप से की जा चुकी है जिससे अन्तिम रुप से यह निर्णय पारित हो चुका है।

अपीलांट द्वारा बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में ले जाकर निर्णय पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध है क्योंकि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हुआ हो या होने की संभावना हो।

लेकिन लोक अदालत में केम्प कोर्ट का भी आयोजन किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का निस्तारण भी केम्प कोर्ट में ही किया गया है जो कि न्यायोचित है।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि निर्णय में तकनीकि त्रुटियां हुई है जिसके कारण प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर ट्रायल हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

हमारे द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार **सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा 99–:** ***कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है न तो उल्टी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी।***

उक्त नजीर वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। क्योंकि कुछ तकनीकि त्रुटियां होने के उपरांत भी प्रकरण की मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना उचित है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।
स्थाई निषेधाज्ञा का दावा काश्तकार ही ला सकता है वादी टाइटिल सिद्ध करना होगा। **गुलाबचन्द बनाम पदमसिंह 1979 आरआरडी 571.**

जो व्यक्ति काश्तकार नहीं है, वह स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। **रामजीलाल बनाम राजस्थान राज्य 1987 आरआरडी 132.**

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर